संख्या– 427 /78 IX(1)/अधिकार प्रतिनि0/स0ना0उ0/2004–2005

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उत्तरांचल, देहरादून।

नागरिक उडडयन विभाग देहरादून : दिनांक 18 सितम्बर 2004

विषयः– राजकीय वायुयानों/हैलीकॉप्टरों के स्पेयर पार्ट्स कय/अनुरक्षण/रिपेयर तथा ऑयल/लुब्रिकेन्ट/ए0टी0एफ0 आदि के लिये धनराशि अग्रिम रूप से आहरण का अधिकार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2004–2005 में राजकीय वायुयानों/हैलीकॉप्टरों के लिये निर्माता फर्मो/विदेशी कम्पनियों अथवा उनके द्वारा भारत में स्थित अधिकृत फर्मो से स्पेयर पार्ट्स कय/अनुरक्षण/रिपेयर आदि कार्यो के लिये होने वाले व्यय/कय हेतु किसी एक मामले में एक बार में रू0 15.00 लाख (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) अथवा आवश्यक पुर्जो का मूल्य जो भी कम हो की सीमा के अन्तर्गत तथा ऑयल/लुब्रिकेन्ट/ए0टी0एफ0 आदि के कय के लिये भारत सरकार के उपक्रम मै0 इण्डियन ऑयल कारपोरेशन को किसी एक मामले में एक बार में रू0 7.50 लाख (रूपये सात लाख पचास हजार मात्र) अथवा आवश्यक ऑयल /लुब्रिकेन्ट/ए0टी0एफ0 के मूल्य हो जो भी कम हो की सीमा में धनराशि अग्रिम रूप से पूर्व स्वीकृत अग्रिम का समायोजन करते हुयें नियमानुसार आहरित करने का अधिकार निदेशक नागरिक उड्डयन, उत्तरांचल को निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :–

1– शासनादेश संख्या–ए–1–2774/दस–15(1)/69 दिनांक 25 अक्टूबर, 1983 के प्रस्तर–2 में उल्लिखित शर्ते पूरी होती हों।

2– मामले में दूसरा अग्रिम तभी आहरित किया जाये जब पूर्व आहरित अग्रिम का पूर्ण समायोजन हो जाने पर समायोजन बिल महालेखाकार को भेज दिया जाय। अग्रिम से सम्बन्धित प्रत्येक बिल पर निदेशक, नागरिक उड्डयन, उत्तरांचल को उक्त आशय का एक प्रमाण पत्र अंकित करना होगा। जिस धनराशि का समायोजन नहीं हुआ, उस सीमा तक अग्रिम की धनराशि का आहरण प्रतिबन्धित हो जायेगा। गत वर्षो के अग्रिमों का समायोजन यदि कोई हो यथाशीघ्र दिनांक 31–10–2004 तक अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये।

3– फालतू पुर्जो के कय तथा ऑयल/लुब्रिकेन्ट/ए0टी0एफ0 आदि के कय की वित्तीय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी हो और कय की स्वीकृति के ओदश में उक्त अधिकार का स्पष्ट उल्लेख किया जाये जिसके अन्तर्गत स्वीकृति दी गई है।

4– आपूर्तिकर्ता/फर्म/कम्पनी/उत्पादक को अग्रिम भुगतान वित्तीय नियमों के अनुसार आवश्यक बैंक गारन्टी आदि लेकर किया जाये।

5– यह अधिकार केवल दिनांक 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के लिये ही प्रभावी होगा।

6– इसके अतिरिक्त मुझे यह भी कहना है कि निदेशक, नागरिक उड्डयन अग्रिम आहरण से सम्बन्धित प्रत्येक स्वीकृति आदेश में यह स्पष्ट रूप से अंकित करेंगे कि सम्बन्धित मद में बजट में कितना प्राविधान उपलब्ध है और उसमें से कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और कितनी धनराशि सम्बन्धित व्यय को वहन करने हेतु उपलब्ध है। किसी भी दशा में व्यय स्वीकृत बजट प्राविधान से अधिक नहीं किया जाये।

यह ओदश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या– 991/वि0अनु0–3/2004 16 सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव,

संख्या–427/78 IX(1)/अधिकार प्रतिनि0/स0ना0उ0/2004–2005, समदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबरॉय मोटर बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव/अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– आहरण वितरण अधिकारी, नागरिक उड्डयन विभाग, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3
6– एन0आई0सी0, उत्तरांचल शासन।
7– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा)
सचिव